

## गर्भपात

### प्रलिस के लयि

[गर्भपात](#), फ्रांसीसी संवधान का अनुच्छेद 34, [गर्भ का चकितिसीय समापन \(MTP\) अधनियम, 1971](#), [भारतीय संवधान का अनुच्छेद 21](#) ।

### मेन्स के लयि:

भारत में गर्भपात कानून, भारत में गर्भपात से संबंधति कानूनी प्रावधान ।

[स्रोत: द हट्टि](#)

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में फ्रांसीसी सांसदों ने फ्रांस के संवधान में गर्भपात के अधिकारों को सुनश्चिति करने के लयि एक वधियक को बहुमत से मंजूरी दे दी है, जससे यह स्पष्ट रूप से एक महिला को स्वेच्छा से अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने के अधिकार की गारंटी देने वाला एकमात्र देश बन गया है ।

- स्वीकृत वधियक के तहत फ्रांसीसी संवधान के अनुच्छेद 34 में संशोधन हुआ है, जसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "कानून में उन शर्तों को नरिधारति कयिा गया है जनिके द्वारा महिलाओं को गर्भपात का सहारा लेने की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है ।"

### नोट:

- यह वधियक वैश्वकि स्तर पर गर्भपात के अधिकारों के हनन के बारे में चर्चाओं की प्रतिक्रिया में लाया गया था, इससे वशिष रूप से लंबे समय से चले आ रहे गर्भपात अधिकारों के संबंध में वर्ष 2022 के फेसला पलटने के [रो वी वेड मामले](#) में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फेसले पर प्रकाश पड़ा था ।

## गर्भपात:

- परचिय:**
  - गर्भपात का आशय जानबूझकर गर्भ की समाप्ति से है, जसि आमतौर पर गर्भधारण के शुरुआती 28 सप्ताह के दौरान कयिा जाता है । ऐसा गर्भावस्था के चरण एवं गर्भपात चाहने वाले व्यक्तिकी प्राथमकित्ताओं के आधार पर वभिन्न चकितिसा प्रक्रयिाओं या दवाओं के माध्यम से प्राप्त कयिा जा सकता है ।
  - गर्भपात एक अत्यधिक विवादास्पद और बहस का वषिय हो सकता है, जसमें अक्सर नैतिक, धार्मकि और कानूनी वचिार शामिल होते हैं ।
- समर्थक:**
  - गर्भपात अधिकार के समर्थकों का तर्क है कि यह एक मौलकि प्रजनन अधिकार है जो व्यक्तयिों को अपने शरीर, स्वास्थय और भवषिय के बारे में विकल्प चुनने की अनुमति देता है ।
  - वे अवांछति गर्भधारण को रोकने, महिलाओं के स्वास्थय की रक्षा करने और प्रजनन स्वायत्तता का समर्थन करने के लयि सुरक्षति और कानूनी गर्भपात सेवाओं तक पहुँच के महत्त्व पर ज़ोर देते हैं ।
- वशिध:**
  - गर्भपात के वशिधयिों, जनिहें अक्सर "जीवन के समर्थक (Pro-Life)" कहा जाता है, का मानना है कि गर्भपात नैतिक रूप से गलत है और इसे पूरी तरह से प्रतबिधति कयिा जाना चाहयि ।
  - वे आम तौर पर तर्क देते हैं कि जीवन गर्भधारण से शुरु होता है और गर्भावस्था को समाप्त करना मानव जीवन लेने के बराबर है, इस प्रकार अजन्मे भ्रूण के अधिकारों का उल्लंघन होता है ।
- भारत में गर्भपात से संबंधति कानूनी प्रावधान:**
  - 1960 के दशक तक, भारत में [गर्भपात](#) प्रतबिधति था और इसका उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहति की धारा 312 के तहत

कारावास या जुरमाना लगाया जाता था।

- शांतलाल शाह समिति की स्थापना वर्ष 1960 के दशक के मध्य में गर्भपात नयिमों की आवश्यकता की जाँच के लिये की गई थी।
- इसके नषिकर्षों के आधार पर, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (MTP) अधिनियम, 1971 अधिनियमित किया गया, जिससे सुरक्षा और कानूनी गर्भपात की अनुमति मिली, महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा हुई और मातृ मृत्यु दर में कमी आई।
- उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं के प्रजनन अधिकारों के लिये एक प्रगतशील कदम में, वैवाहिक बलात्कार को गर्भपात के लिये एक आधार के रूप में मान्यता दी, हालाँकि वैवाहिक बलात्कार को मान्यता नहीं दी गई है।
- MTP अधिनियम, 1971, महिला की सहमति से और एक पंजीकृत चिकित्सक (RMP) की सफारिश पर, गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति देता है। हालाँकि, कानून को वर्ष 2002 और वर्ष 2021 में अद्यतन किया गया था।
  - MTP संशोधन अधिनियम, 2021 बलात्कार पीड़िताओं जैसे विशिष्ट मामलों में दो डॉक्टरों की मंजूरी से 20 से 24 सप्ताह के गर्भ में गर्भपात की अनुमति देता है।
  - यह तय करने के लिये राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड का गठन करता है, कभ्रूण में पर्याप्त असामान्यताओं के मामलों में 24 सप्ताह के बाद गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है या नहीं।
  - यह अववाहिक महिलाओं (शुरुआत में केवल ववाहिक महिलाओं) के लिये गर्भनरोधक प्रावधानों की वफिलता को बढ़ाता है, जिससे उन्हें अपनी वैवाहिक स्थिति के बावजूद, अपनी पसंद के आधार पर गर्भपात सेवाएँ लेने की अनुमति मिलती है।
- उम्र और मानसिक स्थिति के आधार पर सहमति की आवश्यकताएँ अलग-अलग होती हैं, जिससे चिकित्सक की नगिरानी सुनिश्चित होती है।
- भारत का संविधान, जो अनुच्छेद 21 के तहत सभी नागरिकों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। इस अधिकार की व्याख्या भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा महिलाओं के लिये प्रजनन विकल्प और स्वायत्तता के अधिकार को शामिल करने के लिये की गई है।

Time Since Conception	MTP Act, 1971	MTP (Amendment) Act, 2021
Up to 12 weeks	On the advice of one doctor	On advice of one doctor
12 to 20 weeks	On advice of two doctors	On advice of one doctor
20 to 24 weeks	Not allowed	On advice of two doctors for special categories of pregnant women
More than 24 weeks	Not allowed	On advice of medical board in case of substantial fetal abnormality
Any time during the pregnancy	On advice of one doctor, if immediately necessary to save pregnant woman's life	On advice of one doctor, if immediately necessary to save pregnant woman's life

नोट:

- न्यायमूर्ति के.एस.पुट्टासवामी (सेवानवित्त) बनाम भारत संघ मामले में, वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के एक हिस्से के रूप में प्रजनन विकल्प चुनने के महिलाओं के संविधानिक अधिकार को मान्यता दी।

## गर्भपात से जुड़ी चिंताएँ क्या हैं?

- असुरक्षित गर्भपात के मामले:
  - संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) की विश्व जनसंख्या रपिर्ट 2022 के अनुसार असुरक्षित गर्भपात भारत में मातृ मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण है, तथा प्रतिदिन असुरक्षित गर्भपात से संबंधित कारणों से लगभग 8 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है।
  - ववाहिक तथा गरीब परिवारों की महिलाओं के पास अवांछित गर्भधारण को समाप्त करने के लिये असुरक्षित अथवा अवैध तरीकों का उपयोग करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं बचता है।
- पुरुष संतान को प्राथमिकता:
  - कन्या भ्रूण का चयनात्मक गर्भपात सबसे आम है जहाँ पुरुष बच्चों को कन्या बच्चों से अधिक महत्त्व दिया जाता है, विशेष रूप से पूर्वी

एशिया तथा दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों में (विशेषकर चीन, भारत तथा पाकिस्तान जैसे देशों में)।

■ **ग्रामीण भारत में चिकित्सा वशिषज्ज की कमी:**

- लैसेट में **वर्ष 2018 के एक अध्ययन** के अनुसार, वर्ष 2015 तक भारत में प्रतवर्ष 15.6 मिलियन गर्भपात हुए।
- MTP अधिनियम के अनुसार गर्भपात केवल स्त्री रोग या प्रसूति विज्ञान में वशिषज्जता वाले डॉक्टरों द्वारा ही किया जाना आवश्यक है।
  - हालाँकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी, 2019-20 की रिपोर्ट की रिपोर्ट के अनुसार **ग्रामीण भारत में प्रसूति-स्त्री रोग वशिषज्जों की 70% कमी है।**

## आगे की राह

- महिलाओं को **अनावश्यक बाधाओं अथवा पूर्वधारणा** का सामना किये बिना **सुरक्षित और वधिपूरण गर्भपात सेवाओं तक पहुँच** सुनिश्चित की जानी चाहिये।
  - इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में **गर्भपात सेवाओं की उपलब्धता का वसितार** करना, व्यापक प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिये स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण देना और MTP अधिनियम के तहत महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जागरूकता बढ़ाना शामिल है।
- महिलाओं की सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने में चिकित्सा व्यवसायी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  - गर्भपात सेवाओं की मांग करने वाली महिलाओं को उच्च-गुणवत्ता तथा **पूर्वधारणा रहित देखभाल प्रदान करने में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का समर्थन** करने के साथ-साथ उनकी अन्य नैतिक अथवा कानूनी चिंताओं का समाधान करने के लिये नीतियाँ तैयार की जानी चाहिये।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**??????:**

प्रश्न. भारत में समय और स्थान के वरिद्ध महिलाओं के लिये नरिंतर चुनौतियाँ क्या हैं? (2019)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/abortion-14>